

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज., जयपुर
क्रमांक :-ई-18/एम/एफ.00602/2024/225 दिनांक : 13/3/24

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 313 दिनांक 21.03.2023 के द्वारा श्री भंवर सिंह, वाहन चालक (से.नि.) मुख्यालय को समेकित पारिश्रमिक राशि 26100/- पर वाहन चालक के पद पर पुर्ननियुक्ति प्रदान की गई थी (कार्यग्रहण तिथी 21.03.2023) कि निरन्तरता में दिनांक 21.03.2024 से 20.03.2025 तक (अधिकतम 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा नियमित नियुक्ति से कार्मिक के उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो तक के लिए) पुर्ननियुक्ति सेवा अवधि में प्रथम बार अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इनका पदस्थापन परिवार कल्याण निदेशालय, मुख्यालय में करते हुये कार्यसम्पादन हेतु संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, में लगाया जाता है। इन्हे एक वर्ष में 12 दिवस का वैतनिक आकस्मिक अवकाश देय होगा। उपार्जित अवकाश एवं अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

क्रमांक :-ई-18/एम/एफ.00602/2024/225

दिनांक : 13/3/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिवए माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
5. निदेशक (प.क.) मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय साईट पर अपलोड करें।
7. श्री भंवर सिंह, वाहन चालक (से.नि.) को पालनार्थ
8. आदेश/निजी पत्रावली

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

RajKaj Ref
5980565

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :13-03-2024 10:22:07